राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 624/2010/बूंदी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमि., लाखेरी, बूंदी. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 33/आरएसटी/2009–10/बूंदी में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–बूंदी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1995–96 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 58 के तहत् पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित ब्याज को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1995–96 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.09.98 को पारित किया गया था, उसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के साथ ही मांग राशि के स्थगन हेतु भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था तब अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 8,62,000/– की वसूली पर रोक लगा दी थी उसके पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2002 को निर्णय पारित कर उस प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 29(8)(बी) के तहत पारित किया जाना लम्बित था, परन्तु दिनांक 04.05.2009 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 8,62,000/– की राशि पर अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण कर दिया गया, जबकि वह राशि अपीलीय आदेश से निरस्त की जा चुकी थी एवं प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण बाकी था। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण नहीं होने से मूल मांग ही समाप्त हो चुकी थी ऐसी स्थिति में बिना किसी मांग के प्रभावी होने के बावजूद भी उस पर ब्याज का आरोपण किया जाना

लगातार.....2

विधिविरूद्ध है, उस आधार पर आरोपित ब्याज को अपास्त किया गया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 95—96 के लिये दिनांक 06.09.98 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जाकर मांग राशि रूपये 8,62,000/— सृजित की गयी थी, जो कि दिनांक 06.10.98 को जमा की जानी चाहिये थी, परन्तु सभी मांग रूपये 8,62,000/— दिनांक 08.08.2008 को जमा करवाये जाने के कारण विलम्ब के लिये रूपये 17,42,964/— का ब्याज आरोपित किया गया था जो पूर्णतया विधिसम्मत था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अविधिक रूप से निरस्त किया गया है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा यह उल्लेख करना त्रुटिपूर्ण है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश का निस्तारण नहीं किया गया है जबकि प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण दिनांक 05.02.2004 को ही कर दिया गया था अतः आरोपित ब्याज विधिसम्मत होने से अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 20.3.2002 को अपीलीय आदेश के जरिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.9.98 में विभिन्न वस्तुओं पर जो अन्तर कर आरोपित किया गया था उस अन्तर कर की दर को त्रुटिपूर्ण होना निर्णीत करते हुए लाईम स्टोन, जिप्सम, डीजल व ल्यूब्रिकेन्ट पर केवल एक प्रतिशत पुनः कर आरोपित करने एवं इस कर को बकाया मानकर पूरे ब्याज का आरोपित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कथन किया कि इस प्रतिप्रेषित आदेश का निस्तारण किये जाने की प्रति व्यवसायी को नहीं दी गयी एवं न ही ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में होना बताया। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा सहायक आयुक्त, विशेष वृत—तृतीय, कोटा को दिनांक 27.8.2013 को पत्र देकर तथाकथित प्रतिप्रेषित निस्तारित आदेश दिनांक 05.02.2004 की प्रति चाही गयी थी, परन्तु उन्हें वह प्रति कभी भी नहीं दी गयी। उन्होंने कथन किया कि जो ब्याज आरोपित किया गया है उस ब्याज के वसूली नोटिस में ही उसकी गणना की गयी है जो यह स्पष्ट करता है कि दिनांक 10.9.98 को जो राशि रूपये 8,62,000/— डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर में दर्ज थी उस पर प्रतिवर्ष जमा राशि को कम करते हुए ब्याज का आरोपण किया गया है जबकि वह राशि रूपये 8,62,000/— अपीलीय आदेश के बाद अस्तित्व में हीं नहीं रही थी एवं प्रतिप्रेषित आदेश में अतिरिक्त करारोपण पर ब्याज आरोपित किये जाने के आदेश किये हुए थे, ऐसी स्थिति में डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर में दर्शाई गई वह राशि जो पूर्व में ही अपास्त हो चुकी थी, उस पर ब्याज की गणना किया जाना बिना किसी आधार एवं विधि

लगातार.....3

के विरूद्ध था, फलतः आरोपित ब्याज को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं किया जाना बताया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं अपीलीय आदेश दिनांक 20.03.2002, धारा 58 के तहत पारित आदेश दिनांक 04.05.2009 का अवलोकन किया गया एवं अपीलीय आदेश दिनांक 14.9.2009 के परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच की गयी। दस्तावेजों की जांच पर यह स्पष्ट परिलक्षित है कि वर्ष 95–96 का जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.9.98 को पारित किया गया था जिसमें मांग रूपये 8,62,000/– सृजित की गयी थी वह मांग अपीलीय आदेश दिनांक 20.03.2002 के जरिये अपास्त की जा चुकी थी एवं कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर एक प्रतिशत के अन्तर कर से पुनः कर एवं ब्याज आरोपित किये जाने के आदेश दिये गये थे। अतः यह प्रमाणित है कि रूपये 8,62,000/– की मांग दिनांक 6.9.98 से सृजित की गयी थी वह अस्तित्व में नहीं रही थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस मांग राशि को डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर से नहीं हटाकर उस पर ब्याज की भी गणना की गई है जो कि धारा 58 के तहत पारित आदेश से ही परिलक्षित है जिसमें रूपये 8,62,000/– की मांग दिनांक 6.9.98 को सृजित होना दर्शाते हुए उस पर ब्याज की गणना की गयी है जबकि प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण नहीं किया जाना पाया जाता है क्योंकि ऐसा कोई आदेश न तो पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध आदेश–पत्र पर वर्णन है। इसके अलावा यह मान भी लिया जाये कि प्रतिप्रेषित आदेश पारित कर दिया गया था तो उस स्थिति में प्रतिप्रेषित आदेश में अपीलीय आदेश के निर्देशों के अनुसार अन्तर कर एवं वर्ष 95–96 से उसका ब्याज उस आदेश में ही किया जाना था जो कि वसूलनीय होता, ऐसा प्रतीत होता है कि उसी गणना अनुसार प्रत्यर्थी की ओर से राशि जमा करवाई गई थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्तित्वविहीन आदेश दिनांक 6.9.98 जो कि अपीलीय आदेश से समाप्त हो चुका था, के द्वारा सृजित मांग को अदेय मानते हुए उस पूरी राशि पर ब्याज की गणना की गयी है जो पूर्णतया अविधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर किया गया निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत होने से इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

5/9/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

5/9/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य